01/09/22 पत्रावली अन्तर्गत पेश हुई। नकील वादीगण उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा इस्तगासा वाद अन्तर्गत धारा 88 ए०डी०एक्ट का पैतृक आवश्यकता के लिए वाद खातेदारी घोषणा व बंटवारा का पेश किया गया था। नकील वादीगण द्वारा दिनांक 14/10/2021 को धारा 53 ए०डी०एक्ट को विड्राल कर लिया गया था। चूंकि वादीगण द्वारा अपने पिता प्रतिवादीगण संख्या 01 के खातेदारी घोषणा मांगी गई है नकील में प्रतिवादी संख्या 01 का स्वर्गवास हो जाने के वादीगण का इस्तगासा प्रकरण में वाद हेतुक समाप्त हो चुका है लिहाजा वादीगण का वाद पत्र वाद हेतुक समाप्त हो जाने के कवेट (खारिज) किया जाता है। पत्रावली निर्णय सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.16 17:16:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, रामगढ़